

अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। बहस स्थगन प्रार्थना पर वकील अपीलान्ट की एक पक्षीय सुनी गई। अतः आदेश दिया जाता है कि आगामी पेशी दिनांक 30/10/17 तक अधिनस्थ न्यायालय उपरखण्ड अधिकारी इटावा के प्रकरण सख्या 11/17 निर्णय एवं लिखी दिनांक 10/9/17 की पालना स्थगित रखी जावे। रिकार्ड तलब हो। सम्मन रेस्पॉन्ड रजि० ए० डी० पेश करने पर नकल जारी हो। पत्रावली दिनांक 30/10/17 को पेश हो।

(पंकज कुमार औझा)
राजस्थान अपील अधिकारी, कोटा

4/11/17
11/10/17
9/11/17
11/10/17

30/10/17 वकील अपीलान्ट व अपीलान्ट उपरिखण्ड / रेस्पॉन्ड 2.4 की तरफ से श्री पी के गुप्ता उपरिखण्ड / रेस्पॉन्ड 5-बन्व उपरिखण्ड / अपीलान्ट भवानीमंजु व रेस्पॉन्ड 5 धनराज श्री पहचान अपीलान्ट के वकील श्री राम लाल शर्मा एवं मैत्री / वकील अपीलान्ट के आग्रह वापस करने विष्टी अपीलान्ट पेश किया। वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट विष्टी किसे मानने के द्वारा शपथित्री की जाती है। पत्रावली पर निर्णय कारिखण्ड प्रपत्त हो व नकल से नकल हो। आग्रह अपीलान्ट निर्णय किया जावे।

(पंकज कुमार औझा)
राजस्थान अपील अधिकारी, कोटा

वकील अपीलान्ट
अग्रणी
असेट्ट. एंग
9/11/17
2/11/17
03

18-7-17, प्रकरण सं० 11/17 बदनवान भवानीशंकर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य न्यायालयसहायक क्लौक्टर इटावा अन्तर्गत धारा 225 राज० टी० एक्ट

२